ग्रामीण बाजार/अपनी मंडी

गाँव कस्बे एवं पंचायत में किसानों द्वारा उत्पादित सब्जी, फल, फूल, मसाले इत्यादि उद्यानिक फसलें वहाँ के स्थानीय स्तर पर विपणन कराये जाने की व्यवस्था के उद्देश्य से ग्रामीण बाजार/अपनी मंडी की स्थापना का प्रावधान है। उत्पादक को अपने उत्पाद का उचित कीमत बिना विचौलिये के उपभोक्ता द्वारा प्राप्त होगा तथा उपभोक्ता को भी स्थानीय बाजार में ताजे उत्पाद प्राप्त होगें। इस व्यवस्था से उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों लाभान्वित होगें। इसी उद्देश्य से ग्रामीण बाजार स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।

अनुमानित लागत	–	₹ 25.00 लाख
समन्वित उद्यानिक विकाश मिशन द्वारा अनुदान 40%	–	₹ 10.00 लाख
राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान 10%	–	₹ 2.50 लाख
कुल सहायतानुदान की राशि 50%	–	₹ 12.50 लाख
लाभार्थी द्वारा शेष राशि	–	₹ 12.50 लाख
कुल	–	₹ 25.00 लाख

1. समन्वित उद्यानिक विकास मिशन में इस योजना के लिए क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड अनुदान का प्रावधान है अतः बैंक द्वारा ऋण के पश्चात ही स्थापना का कार्य लाभार्थी प्रारंभ करेंगे।
2. परियोजना लागत में जमीन की कीमत कुल परियोजना राशि का शहरी क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 15 प्रतिशत तक सीमित होगा।
3. परियोजना प्रस्ताव की अनुशंसा के पूर्व सहायक निदेशक उद्यान स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे कि प्रस्तावित जमीन (खेसरा) पर पूर्व में कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है।
4. स्थापित किये जाने वाले ग्रामीण बाजार/अपनी मंडी तक पहुँच पथ की चौड़ाई 20' से कम नहीं होनी चाहिए।
5. इस अवयव हेतु अपनी जमीन होनी चाहिए तथा जमीन का क्षेत्रफल न्यूनतम 1000 वर्गमीटर से एक एकड़ तक होगी।
6. अपनी मंडी/ग्रामीण बाजार में आवश्यकतानुसार कम से कम 10 बिक्री हेतु दुकान (न्यूनतम 10X10 फीट), कार्यालय भवन (न्यूनतम 12X10 फीट), विश्रामालय (न्यूनतम 12X10 फीट) एवं गोदाम (न्यूनतम 25X20X14 फीट ऊँची) Auction/Drying के लिए न्यूनतम 22X20 फीट का 02 Platform, पेयजल एवं शौचालय, Grading and Weighing Equipment, विद्युत कनेक्शन, कचरा प्रबंधन सुविधा, पक्की चहारदिवारी (न्यूनतम 5 फीट ऊँची) ट्रक आदि आने योग्य गेट सहित एवं अंदरूनी पहुँच पथ आदि का निर्माण कराया जायेगा।
7. ग्रामीण बाजार/अपनी मंडी में उद्यानिक/कृषि फसलों के अतिरिक्त पशुपालन/मत्स्यपालन से संबंधित खाद्य पदार्थों का भी विपणन किया जा सकता है। इसके लिए बाट सहित तौल मापी काँटे तराजू की व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा।